न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–253/2026
पूरक गोगरी थाना काण्ड सं0–19/20
राजकुमार राम एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

18.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्तगण–**1. राजकुमार राम, 2. राकेश कुमार उर्फ मुरारी राम एवं 3. अशोक राम** की ओर से पूरक गोगरी थाना काण्ड सं0–19/20, जी0आर0 सं0–173/20, धारा–341, 323, 324, 307, 354(ए), 506/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री मृत्यंजय गाँधी के द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक सं0–1 दिनांक 21.02.2026 से एवं आवेदक सं0– 2 एवं 3 दिनांक 15.02.2026 से कारा अभिरक्षा में हैं।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि आवेदक/अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पूर्व में आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन विद्वान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपित धारा–307 भा0दं0वि0 को छोड़कर शेष सभी धाराएं जमानतीय हैं तथा उक्त धारा आवेदकगण के विरूद्ध लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आवेदकगण हमलावर नहीं है। सह–अभियुक्तों को जमानत दे दी गयी है तथा आवेदकगण का यह मामला भी समान प्रकृति का है। आवेदकगण पर्याप्त रूप से दण्डित हो चुके हैं तथा वे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–253/2026
पूरक गोगरी थाना काण्ड सं0–19/20

लगातार
18.03.2026

सूचिका के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन के केस का सारांश यह है कि दिनांक 08.01.20 को पुस्तकालय भवन के निकट प्रेमदास टोला कटहरी मुश्कीपुर में संध्या 05:30 बजे मैं और मेरा पुत्र संजीव राम किसी काम से बाजार जा रही थी कि रास्ते में पहले से ही घात लगाए मुरारी राम, शशि राम, मुकेश राम, जयजय राम, गौतम राम, सुबोध राम, मनोज राम, अशोक राम, नरेश राम, अभिमन्यु राम, राज कुमार राम थे, जिसमें मुरारी राम एवं मुकेश राम मुझे थ्रीनॉट सटा दिया और मेरे पुत्र संजीव राम को शशि राम एवं राज कुमार राम थ्रीनॉट सटा दिया ओर मेरे नजरों के सामने जयजय राम, गौतम राम के पास तेज चाकू, सुबोध राम एवं मनोज राम के पास रड, अशोक राम एवं नरेश राम, अभिमन्यु राम के पास लाठी था और सभी मेरे पुत्र संजीव राम को जान मारने के नियत से मारकर पानी में फेंक दिया, उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से गोगरी रेफरल अस्पताल लाया गया, जहाँ से उसी दिन खगड़िया, सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया तथा वर्तमान में इलाजरत है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदकगण सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदकगण इस काण्ड के नामित अभियुक्त हैं तथा इन लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है। कथित घटना तिथि 08.01.2020 की है, जबकि प्राथमिकी दिनांक 16.01.2020 को दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई युक्ति–युक्त कारण दर्शित नहीं है। प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक/अभियुक्तगण के पास तेज चाकू होने की बात दर्शित है, जबकि कंडिका–24 में जख्मी संजीव का सभी जख्म साधारण प्रकृति का है तथा जख्म सं0–4 गम्भीर प्रकृति का है, जो शरीर के महत्त्वपूर्ण हिस्से पर नहीं है तथा कारित जख्म कठोर एवं भोथरे पदार्थ से किया गया है। जान मारने का आशय प्रतीत नहीं होता है। कंडिका–33 में आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पूर्व में सह–अभियुक्त शशि राम एवं गौतम कुमार को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक सं0–1

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–253/2026
पूरक गोगरी थाना काण्ड सं0–19/20

लगातार
18.03.2026

दिनांक 21.02.2026 से एवं आवेदक सं0–2 एवं 3 दिनांक 15.02.2026 से कारा अभिरक्षा में हैं, ऐसी दशा में उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विद्वान् विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	18.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	19.03.26
Uploading by	Nitish Kumar (D.E.O)